न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–179/2018 प्रार्थना पत्र   दर्ज तिथिः12.10.2018
GCMS No. : 2018/000553

श्री भेरूलाल पिता कालुराम जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवकिशन पिता भेरूलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसीलनिम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
2. श्री मुकेश पिता भेरूलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
3. तुलसीराम पिता भेरूलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
4. मोहनीबाई पिता भेरूलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
5. कमलाबाई पत्नि भेरूलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
6. बगदीबाई पिता रामा डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
7. अण्छीबाई पिता रामा डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
8. मु. प्रतापीबाई पत्नि रामा डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
9. दलीचन्द पिता भंवरलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
10. मोहनलाल पिता भंवरलाल डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
11. सिंचाई विभाग जरिये सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखंड द्वितीय, चित्तौड़गढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

.............अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:30 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री कुशलराज डूंगरवाल
अप्रार्थीगण नं. 2 अधिवक्ता :- पैरोकार सरकार स्वयं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि : 02.08.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मौजा सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा तहसील, निम्बाहेडा की खाता संख्या 364 के आराजी नम्बर 2041 रकबा 0.28 हैक्टेयर होकर जिसके पुराने नम्बर 557 मीन रकबा 1–05 बीघा स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है।

2. यह कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है और उक्त आराजी के पडोस पश्चिम की ओर में आराजी नम्बर 2042 नहर स्थित है, भू–प्रबन्ध कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त नये आराजी नम्बर 2041 जिसके पुराने आराजी नंबर 577 मीन है। नहर की पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं थी, परन्तु भू–प्रबन्ध कर्मचारियों की गलती की वजह से वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर दिया है, तथा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की उक्त आराजी को नवीन नक्शा ट्रेस में छोटा तरमीम कर दिया हैं जबकि दिगर आराजी जिस पर प्रार्थी काबिज है वहां पर प्रार्थी का नक्शा ट्रेस में अंकन सही रूप से नहीं किया है तथा प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी को जमाबंदी में दर्ज रकबे से कम दर्शा दिया है यह तरमीम भू–प्रबन्ध कर्मचारियों की गलती से हुआ है तथा उक्त नक्शा ट्रेस में अंकन प्रार्थी के मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम नहीं किया है। इसलिए उक्त नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार अंकन कर कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी की तरमीम साबिक रिकार्ड अनुसार करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि वर्तमान आराजी नम्बर 2041 का रकबा 0.28 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु इस आराजी के राजस्व नक्शे की रकबा बरारी अनुसार रकबा 0.12 हैक्टेयर ही बनता है। शेष कमी रकबा मौके एवं गत भू–प्रबन्ध नक्शा मिलान से आराजी नम्बर 2042 रकबा 0.34 किस्म नहर के नक्शे में बेशी होना पाया गया। यह कि गत साबिक नम्बर के रकबा के मुकाबले मिलान क्षेत्रफल से वर्तमान खाते में रकबा समतुल्य दर्ज किया गया है। केवल गत साबिक नम्बर 577 से बने नवीन आराजी नम्बर 2041 का नक्शा नवीन नक्शे में छोटा दर्शाया गया। यह कि वक्त मौका पर्चा मौके पर प्रार्थी द्वारा खाते में रकबा पूर्ण दर्ज होने एवं आराजी नम्बर 2041 का रकबा कमी, नहर में बढा होने से उक्त प्रकरण में शुद्धि कार्यवाही नही चाहने/करवाने हेतु निवेदन किया गया।

4. मैंने पत्रावली का अवलोक[illegible]जात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस [illegible] किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अ[illegible] सतखण्डा, पटवार मण्डल सतखण्डा में प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर [illegible] मीन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी जिसके नवीन आराजी नम्बर 2041 रकबा 0.28 हैक्टेयर [illegible] होकर ग्राम सतखण्डा की जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या [illegible]64 में प्रार्थी श्री भेरू पिता कालु मेघवाल सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान राजस्व नक्शे में रकबा बरारी अनुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 2041 रकबा 0.28 के मुकाबले रकबा 0.12 हैक्टेयर ही बनता है। भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत मांगरोल द्वारा प्रकरण की जांच के समय तैयार किये गये पर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:30 IST
Reason: SelfAttested

मौका में अंकित किया गया हैं कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 2041 रकबा 0.28 के वर्तमान राजस्व नक्शे से रकबा बरारी अनुसार रकबा 0.12 हैक्टेयर बनता है। शेष रकबा की मौके एवं गत भू–प्रबन्ध नक्शा मिलान से आराजी नम्बर 2041 का कमी रकबा आराजी नम्बर 2042 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म नहर के नक्शे में बेशी हुआ है। गत साबिक नम्बर के मुकाबले मिलान क्षेत्रफल में समतुल्य रकबा दर्ज किया गया है। केवल गत साबिक नम्बर 577 रकबा 1–05 के नवीन नक्शा में आराजी नम्बर 2041 का नक्शा छोटा होकर कमी रकबा नहर की आराजी नम्बर 2042 नक्शे में बेशी हुआ है। मौके पर प्रार्थी द्वारा खाते में रकबा पूर्ण दर्ज होने एवं आराजी नम्बर 2041 की तरमीम नहर में बढ़ा होने से उक्त प्रकरण में शुद्धि कार्यवाही नहीं करवाने हेतु मौके पर निवेदन किया गया। चूंकि प्रार्थी अब प्रकरण में शुद्धि नहीं करवाना चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 प्रार्थी द्वारा साबिक रकबे अनुसार नवीन खाते में रकबा पूर्ण दर्ज होने एवं आराजी नम्बर 2041 की तरमीम नहर में बढ़ा होने से उक्त प्रकरण में शुद्धि कार्यवाही नहीं करवाने हेतु निवेदन किये जाने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/8/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:30 IST
Reason: SelfAttested